

क्रमांक: एनसीसीएफ/मुख्यालय/व्यवसाय/2022-23/3758 दिनांक: 20 अप्रैल, 2022

नोटिस

यह सूचित करना है कि जिन समितियों ने 2017 / 2018 में एनसीसीएफ सदस्यता के लिए आवेदन किया था उसमें से जिन समितियों की सदस्यता स्वीकृत नहीं की गई तथा सदस्यता राशि वापिस नहीं मिली है उनसे अनुरोध है कि इस नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के अंदर सदस्यता राशि वापिस पाने हेतु पूर्ण विवरण के साथ अधोहस्ताक्षरी, एनसीसीएफ-मुख्यालय, नई दिल्ली को अपने आवेदन भेजें ताकि राशि वापिस करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

रामस्वरूप
20 4-2022
(रामस्वरूप यादव)

सहायक प्रबंधक (व्यवसाय)